29/4/24

पचाफली परेश जी वकील वादी एवं वादी मे स्वयं उपस्थित होकर आज पत्र पेश कर दावा विड्रॉ का निवेदन किया। शपथ पत्र वादी द्वारा स्वयं प्रमाणित कर विड्रॉ करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया जिसे मंजूर किया जाता है।

आदेश घोषित।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS:-
2024/442